

## कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 30.05.2022

### शांतिभंग की आशंका के महेनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के महेनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-21 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151 / 107 / 116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

### अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:

#### 01. थाना परसपुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. घपोले उर्फ माता प्रसाद पुत्र नाथे नि० ग्रा० धनावा थाना परसपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-95 / 22, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

#### 02. थाना खरगूपुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. बाबू उर्फ मिठू लाल पुत्र बिन्दू लाल नि० ग्राम हसुआडोल थाना को० देहात जनपद बलरामपुर के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-98 / 22, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

#### 03. थाना नवाबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. इन्द्रजीत पुत्र हीरालाल नि० ग्राम जैतपुर मांझा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-204 / 22, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

#### 04. थाना वजीरगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. बरसाती पुत्र बसाऊ नि० ग्राम पचपेड़वा बनधुसरा थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-139 / 22, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

#### 05. थाना को० देहात द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. वासुदेव पुत्र साहब बक्श नि० ग्राम भुलभुलिया हाता थाना को० देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-202 / 22, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

प्रेस नोट  
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा  
दिनांक 30.05.2022

**नाजायज चाकू के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार—**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध शस्त्र रखने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना खोड़ारे पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान अभियुक्त मुकेश को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद नाजायज चाकू बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना खोड़ारे में आम्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

**गिरफ्तार अभियुक्त—**

01. मुकेश पुत्र गुगे नि० ग्राम मल्हीपुर थाना छपिया जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग—**

01. मु०अ०सं०-७०/२२, धारा ४/२५ आम्स एक्ट थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।

**बरामदगी—**

01. 01 अदद नाजायज चाकू।

**गिरफ्तार कर्ता—**

01. है०का० अनिल कुमार।

02. का० विजेन्द्र यादव।

प्रेस नोट  
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा  
दिनांक 30.05.2022

थाना खरगूपुर का टॉप-10 जिलाबदर अभियुक्त, अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तारः—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुरस्कार घोषित/वांछित/जिलाबदर अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को निर्देशित किया था।

जिसके अनुक्रम में थाना खरगूपुर पुलिस ने जिलाबदर अभियुक्त सुनील गिरी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद तमंचा 12 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। उक्त अभियुक्त को जिलाधिकारी गोण्डा द्वारा दिनांक 20.01.2022 को जिलाबदर घोषित किया गया था फिर भी अभियुक्त गोण्डा जनपद में निवास कर रहा था। उक्त अभियुक्त थाना खरगूपुर का टॉप-10 अपराधी है जो पूर्व में कई बार जेल जा चुका है। अभियुक्त के विरुद्ध थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तः—

01. सुनील गिरी पुत्र नन्हे गिरी नि० ग्राम अहलाद नगर पेडारे गढ़वा थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोगः—

01. मु०अ०सं०—९९ / २२, धारा ३ / २५ आर्स ऐक्ट थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।
02. मु०अ०सं०—१०० / २२, धारा १० यू०पी० गुण्डा अधिं० थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगीः—

01. 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस

अभियुक्त सुनील गिरी का अपराधिक इतिहासः—

01. मु०अ०सं०—१४३ / १७, धारा ३७९ भादवि थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।
02. मु०अ०सं०—१५० / १७, धारा ३९२,४११,३४ भादवि थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।
03. मु०अ०सं०—१५३ / १७, धारा ३७९,४११,३४ भादवि थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।
04. मु०अ०सं०—१५९ / १७, धारा ३९२,४११,३४ भादवि थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।
05. मु०अ०सं०—१६८ / १७, धारा ४१,४११,३०७ भादवि व ३ / २५ आर्स ऐक्ट थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।
06. मु०अ०सं०—२४८ / १७, धारा ३(१) यू०पी० गैंगेस्टर ऐक्ट थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।
07. मु०अ०सं०—६९ / २०, धारा ३२३,३२५,५०४ भादवि थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।
08. मु०अ०सं०—१७५ / २०, धारा ४ / २५ आर्स ऐक्ट थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीमः—

उ०नि० धनश्याम वर्मा मय टीम।

**प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 30.05.2022**

**दहेज हत्या की वांछित अभियुक्ता गिरफ्तार—**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत वांछित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुकम से थाना कौड़िया पुलिस ने दहेज हत्या की वांछित अभियुक्ता पूनम उर्फ रजकला को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्ता ने अपने परिजनों के साथ मिलकर दिनांक 04.05.2022 को वादी भुलई पुत्र रामलाल निरो बहादुरपुर थाना कोरो देहात जनपद बहराइच की लड़की को दहेज की बात को लेकर प्रताड़ित करते हुए फांसी लगाकर जान से मार दिया था। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना कौड़िया में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्ता के विरुद्ध थाना कौड़िया पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

**गिरफ्तार अभियुक्ता—**

01. मु0अ0सं0—पूनम उर्फ रजकला पत्नी हरीराम निरो दूधपुर मौजा भगहरिया भगवानपुर थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग—**

01. मु0अ0सं0—77/22, धारा 498ए, 304बी भादवि व 3/4 डी0पी0 ऐक्ट थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

**गिरफ्तार कर्ता—**

01. उ0निरो बृजेश कुमार मय टीम।

**सराहनीय प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 30.05.2022**

**जालसाजी करने के 02 अभियुक्त गिरफ्तारः—**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एंव अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को० नगर पुलिसने कूटरचित ढंग से जमीन बैनामा कराने के 02 वांछित अभियुक्तों—01. बाबूलाल पुत्र रामबदल, 02. लाल पुत्र मंगरे पुलिस को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्तगणों ने वादी इन्द्रपाल पुत्र हजारीलाल नि० धनौली थाना को० नगर जनपद गोण्डा की जमीन को कूटरचित ढंग से बैनामा करा लिया था। वादी द्वारा शिकायत करने पर उक्त अभियुक्तगणों ने वादी व उसकी पत्नी को जाति—सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए करते हुए जानमाल की धमकी दी थी। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना को० नगर में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना को० नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण—**

- 01.बाबूलाल पुत्र रामबदल नि० चिलबिला खत्रीपुर थाना को० देहात जनपद गोण्डा।
02. लाल पुत्र मंगरे नि० धनोहरी थाना को० देहात जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग—**

01. मु०अ०सं०—८६४ / 21, धारा 419,420,467,468,471,352,504,506 भादवि व 3(1)द ध, 3(2) एस०सी० एस०टी० ऐकट थाना को० नगर जनपद गोण्डा।

**गिरफ्तार कर्ता—**

उ०नि० अश्वनी कुमार दुबे मय टीम।

**सराहनीय प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 30.05.2022**

**गैरइरादतन हत्या करने 03 आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार-**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एंव अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को 0 नगर पुलिस ने गैर इरादतन हत्या करने के 03 आरोपी अभियुक्तों—01. अंकित, 02. इन्द्रमोहन, 03. रामादेवी को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्तों ने दिनांक 27.05.2022 को वादी राजेश लोधी पुत्र हरिचन्द्र लोधी नि 0 पोर्टरगंज परेड सरकार थाना को 0 नगर जनपद गोण्डा व उसके परिजनों गाली—गुप्ता देते हुए मारा—पीटा था। जिससे वादी के पिता हरिचन्द्र की ईलाज के दौरान मृत्यु हो गयी थी। अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना को 0 नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण—**

01. अंकित पुत्र इन्द्रमोहन नि 0 पोर्टरगंज परेड सरकार थाना को 0 नगर जनपद गोण्डा।
02. इन्द्र मोहन पुत्र स्व 0 यदुराम नि 0 पोर्टरगंज परेड सरकार थाना को 0 नगर जनपद गोण्डा।
03. रामदेवी पत्नी इन्द्रमोहन नि 0 पोर्टरगंज परेड सरकार थाना को 0 नगर जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग—**

01. मु0अ0सं0—362 / 22, धारा 323,504,304 भादवि थाना को 0 नगर जनपद गोण्डा।

**गिरफ्तार कर्ता टीम—**

उ0नि 0 अखिलेश शाही मय टीम।